


राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

प.19(3)न्याय/2018

जयपुर दिनांक: 16-11-18

:: सूचना ::

राजस्थान न्यायिक सेवा 2017 में चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्वाचरण के बारे में Attestation Form की दो प्रतियों में पूर्ति कर दो अलग-अलग राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित करा कर स्वयं के दो रंगीन छायाचित्र सहित इस विभाग को सात दिवस में भिजवाने का श्रम करें ताकि अभ्यर्थियों की राजस्थान न्यायिक सेवा में नियुक्ति की आवश्यक कार्यवाही की जा सकें। इस संबंध में Attestation Form की PDF प्रति विभागीय पोर्टल www.law.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दी गई है।


16-11-18
(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव